न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चितौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी **गितेश श्री मालवीय,** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 15/2015 (रा.गु.नि.)
पंजीयन दिनांक 10.12.2015
G.C.M.S. NO. :- 2015/00086

सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–प्रार्थी

बनाम

श्री दिनेश पिता रमेश रेगर निवासी रेगर बस्ती, बेगूं थाना बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़

–गैरसायल

कार्यवाही : अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्ड़ा नियंत्रण अधिनियम, 1975

उपस्थिति : 1– अभियोजन अधिकारी, राजकीय पैरोकार

निर्णय

दिनांक 03.06.2022

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा गैरसायल के विरूद्ध राजस्थान गुण्ड़ा नियंत्रण अधिनियम, 1975 धारा 3 के तहत इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि गैरसायल रेगर बस्ती बेगूं, थाना बेगूं, जिला चितौड़गढ़ का निवासी होकर उक्त व्यक्ति आपराधिक प्रवृति का है। दिनों–दिन इसकी आपराधिक गतिविधियां बढती ही जा रही है। यह व्यक्ति जुआ–सट्टा खेलने संबंधी अपराध करने का आदि है। इस व्यक्ति के भय से आम जनता इतनी भयभीत है कि कोई भी व्यक्ति इसके विरूद्ध गवाही देने का साहस ही

नही करता है। अतः गैरसायल के विरूद्ध राजस्थान गुण्ड़ा नियंत्रण अधिनियम, 1975 धारा 3 के तहत कार्यवाही की जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को तलब कर नोटिस सुनाया गया। गैरसायल की ओर से अधिवक्ता श्री रतन कुमावत तथा उसके पश्चात् श्री जयदीप बीलू ने अधिकार पत्र प्रस्तुत किया। गैरसायल ने नोटिस सुन-समझ कर आरोप अस्वीकार किये एवं जवाब प्रस्तुत कर ट्रायल चाही जिससे गैरसायल को आगामी तारीख पेशी पर उपस्थित होने हेतु जमानत एवं मुचलके प्रस्तुत करने के आदेश दिये। गैरसायल द्वारा आदेश की पालना में मुचलका एवं जमानत पत्र प्रस्तुत किये जिसे बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात् गैरसायल ने अधिवक्ता से पैरवी नहीं करवाकर स्वयं प्रकरण में पैरवी करने की अनुमति चाहने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे स्वीकार किया जाकर गैरसायल को स्वयं पैरवी करने की अनुमति प्रदान की गई।

अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्ष्य पैरवी में निम्नांकित गवाहान के बयान दर्ज कराये गयेः-

1-श्री शिवप्रकाश पिता बंशीलाल टेलर, हाल एस. एच. ओ. महिला थाना, चित्तौड़गढ़

2-श्री रामदयाल पिता उदयराम जाट, विट्ठलपुरा माण्डलगढ़ हाल कानि. थाना बेगूं

गैरसायल ने उसकी ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करके सीधे बहस हेतु निवेदन किया। अतः बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी, पैरोकार सरकार का मुख्य कथन यह रहा कि गैरसायल आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है, दिनों-दिन इसकी आपराधिक गतिविधियां बढती ही जा रही है। यह व्यक्ति जुआ-सट्टा संबंधी अपराध करने का आदि है। इस व्यक्ति के भय से जनता इतनी भयभीत है कि कोई भी व्यक्ति इसके विरूद्ध गवाही देने का साहस ही नही करता है। गैरसायल के विरूद्ध इस्तगासे अनुसार कुल 2 प्रकरण दर्ज हुए हैंः-

1- प्र.सं. 37/12 धारा 13 आर. पी. जी. ओ. एक्ट

2- प्र.सं. 105/12 धारा 13 आर. पी. जी. ओ. एक्ट

गैरसायल को उक्त 02 ही प्रकरणों में सजा हो चुकी है तथा उक्त प्रकरण में उपस्थित गवाहान ने भी अपने बयानों में गैरसायल का आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होना व किसी भी व्यक्ति द्वारा इसके भय के कारण साक्ष्य नही देने के संबंध में इस्तगासे में अंकित तथ्यों की पुष्टि की है। गैरसायल के विरूद्ध दर्ज उक्त प्रकरणों के तथ्यों के आधार पर उसे गुण्ड़ा घोषित करने के पर्याप्त आधार उपलब्ध है। अतः गैरसायल को गुण्डा घोषित करते हुए इस जिले से 6 माह की अवधि के लिए निष्काषित करने के आदेश फरमाये जावे।

गैरसायल का मुख्य कथन यह रहा कि गैरसायल के विरूद्ध द्वेषतावश उक्त प्रकरण बनाकर गुण्डा एक्ट के तहत कार्यवाही प्रस्तुत की है। गैरसायल ने अपने में सुधार कर मेहनत मजदूरी कर शान्तिपूर्वक अपना व अपने परिवार का जीवन-यापन कर रहा है। उक्त प्रकरणों के बाद गैरसायल के विरूद्ध किसी भी धारा के आपराधिक मामले दर्ज नहीं हुए हैं। मौहल्ले या गांव में कोई शांति भंग नहीं की है। गैरसायल के खिलाफ ऐसा कोई आपराधिक मामला निर्णित नहीं हुआ है जिससे आम जनता में भय व्याप्त हो, या आम जनता की सम्पत्ति का नुकसान हो रहा हो। गैरसायल भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय 15, 17 व अध्याय 22 के अधीन आने वाले अपराध करने की दुष्प्रेरणा मे न तो लगा हुआ है और न ही ऐसे अपराध कर रहा है। गैरसायल के विरूद्ध किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई शिकायत पुलिस में दर्ज नही कराई है। अतः सहानुभूति का रूख अपनाते हुए प्रकरण खारिज फरमाया जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा एवं उपलब्ध अन्य अभिलेखों का गहनता से अवलोकन किया। गैरसायल के विरूद्ध दर्ज उक्त दोनों ही प्रकरणों में गैरसायल को सजा होकर अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। गैरसायल के विरूद्ध छः माह की अवधि के भीतर ही दोनों प्रकरण दर्ज हुए हैं इस प्रकार गैरसायल का जिले एवं उसके किसी भाग में धारा (2) के खण्ड (ब) के उपखण्ड 1 से 8 में वर्णित कार्य करने में रत रहा है एवं उसके दुष्प्रेरण में लगा हुआ होना पाया गया है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार करने के पर्याप्त आधार उपलब्ध है।

अतः राजस्थान गुण्ड़ा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत गैरसायल दिनेश पिता रमेश रेगर निवासी रेगर बस्ती, बेगूं थाना बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़ को गुण्ड़ा घोषित किया जाता है। एवं 1 (एक) माह के लिए जिला चितौड़गढ़ से निष्काषित करने का आदेश दिया जाता है। गैरसायल को पाबन्द किया जाता है कि वह दिनांक 07.06.2022 तक अपने आप को इस जिले से निष्काषित कर भीलवाड़ा जिले में प्रवेश कर ले। गैरसायल उक्त अवधि में

अपनी उपस्थिति थानाधिकारी माण्ड़लगढ़, जिला भीलवाड़ा में देता रहेगा। उक्त क्षेत्र से अन्यत्र जाने से पूर्व गन्तव्य स्थान का पूर्ण पता थानाधिकारी माण्डलगढ़, जिला भीलवाड़ा के यहां दर्ज कराने के पश्चात वहां से प्रस्थान करेगा। थाना क्षेत्र माण्ड़लगढ़ में उपस्थिति के दौरान गैरसायल शिक्षण संस्थाओं, धार्मिक स्थानों मेलों, हाट बाजार, सिनेमा हाऊस व मनोरंजन के स्थानों से अपने आप को दूर रखेगा। इस अवधि में तेज धारदार हथियार, अस्त्र अथवा आयुद्ध, विस्फोटक अथवा ज्वलनशील वस्तु आदि उसके कब्जे में नही रखेगा।

'निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।'

(गितेश श्री मालवीय)